म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/रबी विपणन/403/102 भोपाल,दिनांक 28/01/2020

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक,
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)

विषयः–रबी विपणेन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रकिया का निर्धारण।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन किसान खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र कमांक एफ 5–1(1–1क)/2020/29–1

विषय संदर्भ मे लेख है कि खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रकिया का निर्धारण के संबंध मे दिशा–निर्देश जारी किये गये है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके मण्डी क्षेत्रान्तर्गत मण्डियों मे आवश्यक आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-1(1-1क)/2020/29-1 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश.

विषय- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

1. प्रदेश में केन्द्र शासन की "विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना" अंतर्गत रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाती रही है, जिस हेतु कृषकों का पंजीयन किया जाता रहा हैं।

1.1 रबी विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता का गेहूं उपार्जन किया जाना है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 1925 प्रति क्विंटल निर्धारित है।

1.2 विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को ई-गिरदावरी के सत्यापित भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा। किसान की भूमि एवं फसल के बोए गए रकबे की जानकारी ई-गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी, जिससे पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयुक्त खातेदार कृषक को अनुपातिक रकबे अनुसार पृथक-पृथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

1.3 चूंकि पंजीयन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिये यह आवश्यक हो जावेगा कि कृषक अपने रिकार्ड की पुष्टि ई-गिरदावरी से करले, जिस हेतु खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से एवं कलेक्टर द्वारा जिले में समस्त कृषकों को जागरूक किया जाए। दावा- आपत्ति की निर्धारित समय-सीमा एवं पंजीयन की तिथियां में रिकार्ड सही कराना अनिवार्य होगा।

1.4 विगत खरीफ की भांति पंजीयन के साधन विस्तारित किये गये है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब एप्लीकेशन भी सम्मिलित हैं। अधिक से अधिक कृषक स्वयं पंजीयन कर सके, इस हेतु सरल वीडियो Tutorial आदि का उपयोग करते हुये कृषकों को स्व-पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

1.5 पंजीयन में नवीन साधनों के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर Orientation, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण पंजीयन निर्धारित समय में करा लें, इस हेतु पंचायतों, ग्रामसभाओं, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं SMS के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा। प्रभावी सूचना संचार हेतु निम्न का ध्यान रखा जाए:-

i. विभाग एवं एनआईसी के द्वारा SMS भेजने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

ii. प्रभावी प्रचार सामग्री पूर्व से तैयार की जाए;

iii. समस्त स्टेक होल्डर का उन्मुखीकरण एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जाए;

iv. राज्य स्तर से Orientation वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया जाए;

v. मोबाइल एप के उपयोग हेतु विभागीय/पंजीयन वेब साईट पर भी सूचना दी जाए।

1.6 किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

2. पंजीयन की अवधि

2.1 किसान पंजीयन दिनांक 01 से 28 फरवरी, 2020 तक किया जाएगा।

2.2 केन्द्रों पर प्रात:10 से सायंकाल 06 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में पंजीयन किया जाएगा।

3. पंजीयन के साधन-

3.1 कृषकों को अधिक सशक्त करने, संस्थाओं, डाटा एन्ट्री आपरेटर पर निर्भरता तथा पंजीयन केन्द्रों पर कार्य के दबाव को कम करने के लिए भू-स्वामियों को पंजीयन के निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:-

i. एमपी किसान एप;

ii. ई-उपार्जन मोबाइल एप;

iii. पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर।

iv. विगत वर्ष के रबी उपार्जन करने वाली पात्र संस्थाओं के मुख्यालय पर (पात्रता का आधार कंडिका-4 अनुसार) होगा।

3.2 उपरोक्त पंजीयन साधनों का उपयोग कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मोबाइल एवं कम्प्यूटर के अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा बाह्य स्थानों से भी किया जा सकेगा। साथ ही, पंजीयन केन्द्र login से भू-स्वामी, सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जा सकेगा।

3.3 पात्र संस्थाओं के द्वारा पंजीयन किया जा सकेगा। पंजीयन केन्द्र login से भू स्वामी, सिकमी, कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन किया जा सकेगा। आशय यह है कि सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा।

4. किसान पंजीयन हेतु निम्न संस्थाऐं पात्र होंगी-

4.1 पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु विगत वर्ष रबी में उपार्जन करने वाली संस्थाओं का पुन: परीक्षण किया जाएगा तथा जो संस्थाऐं निम्न मापदण्डो की पूर्ति नहीं करेगी, वे पंजीयन हेतु पात्र नहीं होगी:-

i. विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2017-18 व 2018-19) एवं दो रबी विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार :-

A. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25% से अधिक का अंतर न हो;

B. असामनक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा को 1% से अधिक न हो;

C. प्रमाणित गंभीर अनियमितता व कृषक भुगतान में विलंब न हो;

D. ऑफलाईन मोड में कार्य न किया हो; तथा

E. परिवहनकर्ता को स्कंध बिना तौले सौंपा अथवा परिवहन न किया गया हो।

ii. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो, तथा कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व वर्षों में अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हों;

iii. पूर्व की किसी अपात्र संस्था के आपरेटर एवं केन्द्र प्रभारी को किसी अन्य संस्था में पंजीयन कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा; तथा

4.2 जिला स्तर परDM-MPSCSC, DMO-MarkFed, जिला प्रभारी-MPWLC एवं GM-DCCB से संस्थाओं की मापदण्ड पूर्ति के संबंध में विचार-विमर्श कर उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया हो;

4.3 जिले में पर्याप्त संख्या में पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु पात्र संस्थाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयुक्त, सहकारिता से परामर्श उपरांत, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक, खाद्य द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिथिलताऐं की जा सकेंगी।

4.4 पंजीयन हेतु उक्तानुसार पात्र संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर NIC द्वारा पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु DSOlogin में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाते, कम्प्यूटर आपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने login से प्रविष्ट करेंगे।

5. रबी हेतु सभी कृषकों (नवीन एवं पुराने) को पंजीयन कराना आवश्यक है, जिससे किसान पंजीयन पर्ची के आधार पर उपार्जन किया जा सकेगा।

5.1 पंजीयन हेतु कृषक को निम्न जानकारी से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा, यह जानकारी उपयुक्त स्वरूप में संचालक, खाद्य द्वारा किसान पंजीयन पर्ची में भी अभिलिखित कराई जाए :-

i. पंजीयन के समय कृषक को मूलभूत जानकारी में नाम, समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का IFSC, मोबाइल नंबर, विक्रय तिथियों के 3 विकल्प देने होंगे।

ii. वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार को छोड़कर अन्य कृषकों को दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं होगा, तथापि कृषक को यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसकी जानकारी सही स्वरूप में दर्ज हुई है क्योंकि उपार्जन के समय मूलभूत जानकारी में संशोधन के विकल्प की सुविधा केन्द्र स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है।

iii. किसान को उपनी उपज विक्रय के समय नीचे लिखे दस्तावेजों को उपार्जन केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि उपार्जन के समय उपार्जन केन्द्र प्रभारी को रिकार्ड से करना होगी। यह जानकारी किसान पंजीयन पर्ची में अभिलिखित करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए:-

- ✓ आधार कार्ड की प्रति;
- ✓ बैंक पासबुक की प्रति;

- ✓ समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में PAN CARD की प्रति)
- ✓ वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति
- ✓ सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति;
- ✓ किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट;

5.2 वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार का पंजीयन चूंकि पंजीयन केन्द्र पर ही सम्भव है। अत: ऐसे सभी काश्तकारों को पंजीयन के समय ही कंडिका-5.1 के सभी दस्तावेजों के साथ-साथ अनुबंध अथवा पट्टे की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

5.3 विगत पंजीयत कृषकों का मूलभूत डाटा पूर्व से प्रदर्शित होगा, जिसमें परिवर्तन एवं संशोधन की कार्यवाही OTP आधारित e-authentication प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।

5.4 किसानों को भुगतान JIT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल बैंक खाते ही दर्ज किए जाएं तथा जनधन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हो) आदि पंजीयन में न दर्ज कराने हेतु पंजीयन करने वाले आपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाए तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

5.5 पंजीयन में दर्ज किसान का नाम,बैंक खाता व IFSC का मिलान NPCI के माध्यम से किए जाने की समानांतर व्यवस्था संचालक, खाद्य,NIC एवं MPSCSC के द्वारा कराई जाएगी। यदि को-आपरेटिव बैंक के खातों के सत्यापन में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं तो अपेक्स बैंक द्वारा GM, DCCB के माध्यम से इन खातों का साप्ताहिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

6. पंजीयन की प्रक्रिया-

6.1 विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों हेतु-

i. ई उपार्जन पोर्टल एवं एमपी किसान एप पर रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत पंजीयन मास्टर पर दो विकल्प उपलब्ध होंगे यथा- विगत वर्ष के पंजीकृत किसान एवं नवीन किसान पंजीयन।

ii. विगत वर्ष के पंजीकृत किसान के विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत निम्न विकल्प प्रदर्शित होंगे।

- मोबाईल नंबर;
- समग्र सदस्य आईडी,
- विगत रबी मौसम के किसान पंजीयन कोड।

iii. उक्त में से कोई भी एक विवरण दर्ज करने पर किसान का नाम, भूमि का विवरण, बोई गई फसल, बैंक खाता, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

iv. किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई उपार्जन किसान पंजीयन डाटा से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल का विवरण इस वर्ष की गिरदावरी से लिया जाएगा।

v. उक्तानुसार किसान की जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर अथवा एप की दशा में मोबाईल की स्क्रीन पर पंजीयन के समय प्रदर्शित होगी, जिसे किसान द्वारा भी देखा जा सकेगा, जिसमें उन्हें उपज विक्रय करने की अधिकतम 3 दिनांक तथा संभावित विक्रय मात्रा को अंकित करना होगा।

vi. पंजीयन की सूचना किसान को SMS एवं ई उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट आउट निकाल कर प्राप्त की जा सकेगी।

6.2 नवीन किसानों हेतु

i. नवीन किसानों का पंजीयन, मोबाईल एप एवं वेब एप्लीकेशन में दी गई प्रक्रिया अनुसार भरनी होगी।

ii. किसान का नाम, बैंक खाता,IFSC, शाखा का नाम, मोबाईल नंबर, फसल विक्रय हेतु 3 दिनांक, विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी।

iii. किसान की भूमि का रकबा एवं फसल का विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।

6.3 एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन मोबाईल एप पर पंजीयन

i. एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन पंजीयन एप को ई उपार्जन एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

ii. एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा।

iii. खसरे में उल्लेखित रकबा एवं फसल से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाइल, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।

6.4 उक्त प्रविष्टियों के उपरांत किसान एप के Data-Custodian राजस्व विभाग द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से ई-उपार्जन में डाटा प्रेषित किया जाएगा जिसे real time monitoring की व्यवस्था हो सके।

6.5 समग्र सदस्य आईडी किसान की पंजीयन यूनिक आईडी होगी। इस वर्ष रबी विपणन मौसम में किसान पंजीयन कोड, समग्र सदस्य आईडी होगी, जो भविष्य के पंजीयन में भी उपयोग की जा सकेगी।

6.6 किसान की भूमि एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी में की जाती है। गिरदावरी से किसान को किसी प्रकार की आपत्ति होने पर गिरदावरी में ही दावा-आपत्ति कर त्रुटि सुधार का प्रावधान राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। पंजीयन के समय भूमि के रकबे एवं फसल के सत्यापन से सहमत होने पर ही पंजीयन मान्य किया जाएगा। पंजीयन की पुष्टि OTP से की जावेगी, जिसकी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी।

7. वन पट्टाधारी कृषकों का सत्यापन-

7.1 पूर्व में वन विभाग के साथ किए गए परामर्श अनुसार वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के रकबे एवं बोई गई फसल का सत्यापन की प्रक्रिया के निर्देश विगत रबी उपार्जन के समय जारी किए गए थे। इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7.2 संचालक, खाद्य द्वारा उक्त सत्यापन कार्य हेतु नई तिथियों के साथ पुन: निर्देश जारी किए जाएंगे।

8. दावा आपत्ति-

8.1 किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल से संतुष्ट न होने पर किसान के पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि एवं बोई गई फसल में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व करना होगी।

8.2 दावा आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

9. प्रचार-प्रसार, कर्मचारियों की भूमिका का निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण-

9.1 पंजीयन में कठिनाईयां एवं बाधाऐं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए।

9.2 किसानों के मध्य विशेष रूप से निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाए

i. पंजीयन के साधनों से किसानों को अवगत कराया जाए;

ii. पंजीयन गिरदावरी डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए गिरदावरी में किसान की फसल एवं रकबे की प्रविष्टियां सही कराई जाएं, आपत्ति होने पर राजस्व विभाग की प्रकियानुसार कार्यवाही की जाए;

iii. पंजीयन में सही बैंक खाता एवं IFSC होने की पुष्टि भी कृषक से कराई जाए;

iv. समिति स्तर पर नियोजित आपरेटर द्वारा किसानों को मोबाईल एप से पंजीयन की प्रक्रिया से अवगत कराया जाए।

9.3 प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर से की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:-

i. रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि;

ii. विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हों, उन्हें SMS से सूचित करना;

iii. ग्राम में डोंडी पिटवाकर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराना;

iv. पंजीयन समिति, कृषि उपज मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिये बैनर, पोस्टर, ब्रोशर आदि से सूचित करना।

9.4 व्यवस्थित पंजीयन हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाए

i. राज्य स्तर पर सम्बद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person का प्रशिक्षण;

ii. संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक, खाद्य के प्रतिनिधि की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण;

iii. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण; तथा

iv. पंजीयन समिति, पंचायत, सम्बद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।

9.5 प्रत्येक स्तर पर पंजीयन कार्य के सघन पर्यवेक्षण की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाए

i. जिला स्तर से पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का सत्यापन एवं पंजीयन केन्द्रों पर कर्मचारियों (राजस्व, खाद्य, सहकारिता, कृषि) की पर्यवेक्षण हेतु ड्यूटी लगाई जाए;

ii. पंजीयन व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर रबी विपणन मौसम की राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां उत्तरदायी होगी;

iii. राज्य स्तर से आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी भेजे जाऐंगे।

10. वित्तीय व्यवस्था-

10.1 गेहूं के पंजीयन हेतु निर्धारित आवर्ती व्यय (Recurring Expenses) भारत शासन की प्रावधानिक लागत मद से प्रबंध संचालक,MPSCSC द्वारा निर्धारित Norms अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जाएगी तथा इसके निर्देश जारी किए जाएंगे।

10.2 प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर नियोजित एक डाटा एन्ट्री आपरेटर का मानदेय की राशि राज्य उपार्जन एजेन्सी MPSCSC के प्रशासनिक मद से विकलनीय होगी।

10.3 पंजीयन के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रबंध संचालक MPSCSC द्वारा मापदण्ड एवं दरें तय की जाएगी तथा उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाते हुए मापदण्ड अनुसार भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

11. पंजीयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए निम्न व्यवस्था बनाई जाएगी :-

i. जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाएगा जिसमें जिला सूचना अधिकारी NIC एवं जिला ई गवर्नेंस को सम्मिलित किया जाएगा। इनके द्वारा जिला स्तर पर पंजीयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा;

ii. राज्य स्तर पर भी संचालक, खाद्य द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाए, जो कि समस्त तकनीकी Trouble Shooting के लिए उत्तरदायी होगा;

iii. पंजीयन संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा CM Helpline Portal पर उपलब्ध रहेगी, इसकी सघन मॉनीटरिंग सभी स्तरों पर की जाएगी।

iv. राज्य सूचना अधिकारी, NIC द्वारा तकनीकी सहयोग एवं समन्वय किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि समय-सीमा में बाधा रहित तकनीकी समाधान उपलब्ध रहे।

v. जिला स्तरीय समिति, पंजीयन संबंधी समस्त विवादों का अंतिम निराकरण करेगी। सभी कलेक्टर अपने जिले में पंजीयन संबंधी सभी विषयों के निराकरण हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को (अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारी) "single point of contact" के रूप में नियुक्त करेंगे, जो कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सम्पर्क में रहेगा।

vi. पंजीयन कार्य सतत् रूप से बिना बाधा के चले इस हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल में निम्नानुसार स्थापित किया जायेगा:-

- ✓ कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 है;
- ✓ यह दिनांक 01 फरवरी से 25 मई, 2020 तक प्रातः 9.00 बजे से सायंकाल 7.00 बजे तक चालू रहेगा;
- ✓ यह पंजीयन समितियों एवं जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं का निदान करेंगा;
- ✓ ऐसी समस्या जिसके समाधान हेतु शासन स्तर पर कलेक्टर हस्तक्षेप आवश्यक समझे, उनके बारे में प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य में स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं dirfood@mp.nic.in पर e-mail पर भेजा जा सकता है।

vii. रबी विपणन मौसम में किसान पंजीयन में तकनीकी समस्याओं का समाधान पृथक से Technical help desk पर किया जाएगा।

12. प्रदेश के कृषकों द्वारा पंजीयन से संबंधित समस्याएं राज्य सरकार के टोल फ्री नम्बर CM Helpline 181 पर दर्ज की जा सकेंगी। हेल्पलाईन (काल सेन्टर) से प्राप्त होने वाली शिकायत एवं समस्याओ के निराकरण का दायित्व जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी का होगा। इस व्यवस्था का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

13. समस्त ऐसी समस्याऐं जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जाएगा।

18/1/2020

(बी.के.चन्देल)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्र. एफ 5-1(1-1क)/2020/29-1 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
9. आयुक्त, मंडी बोर्ड।
10. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
11. आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड) भोपाल।
14. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
15. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, भोपाल।
16. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), मध्यप्रदेश।
17. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
18. राज्य सूचना अधिकारी NIC भोपाल।
19. श्री अब्राहम वर्गीस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC भोपाल।
20. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

18/11/2020

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रबी विपणनवर्ष 2020-21में गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की कार्ययोजना एवं समय-सीमा

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
1	प्रबंधन तंत्र का गठन	जिला उपार्जन समिति का गठन	कलेक्टर	20 जनवरी 2020
		राज्य उपार्जन समिति का गठन	राज्य शासन	20 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन	कलेक्टर	25 जनवरी 2020
		राज्य एवं जिला कन्ट्रोल रूम की स्थापना	संचालक, खाद्य-कलेक्टर- DSO	25 जनवरी 2020
		राज्य/जिला तकनीकी सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	संचालक,खाद्य- कलेक्टर	
2	पंजीयन केन्द्र स्थल संस्था का निर्धारण	पंजीयन केन्द्रों की संख्या का जिलावार निर्धारण	संचालक खाद्य	20 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्रों की संख्या का तहसीलवार निर्धारण	कलेक्टर- डीएसओ के माध्यम से	21 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्रों के स्थान चयन तथा पंचायत मैपिंग		22 जनवरी 2020
		संस्थाओं की पात्रता का परीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना	DRCS, DMO, DMMPSCSC, जिला प्रभारी MPWLC एवं GM DCCB	24 जनवरी 2020
3	भौतिक एवं मानव संसाधन की उपलब्धता	जिला - Technical Support Group का गठन	कलेक्टर - डीएसओ	21 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्र पर मैदानी अमले की जिम्मेदार ड्यूटी लगाना	कलेक्टर- डीएसओ	24 जनवरी 2020
		पंजीयन समिति स्तर पर आपरेटर्स का नियोजन	कलेक्टर-उपायुक्त सहकारिता/ GMCCB के माध्यम से पंजीयन समिति द्वारा	27 जनवरी 2020
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना।	कलेक्टर,DIO NIC	28 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्र पर बैनर की उपलब्धता	कलेक्टर, जिला प्रबंधक,MPSCSC	27 जनवरी 2020
		पंजीयन केन्द्र पर भौतिक संसाधन की उपलब्धता का सत्यापन	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	28 जनवरी 2020
4	किसान पंजीयन	समितियों/मोबाईल एप/ ई-उपार्जन मोबाईल एप पर	कलेक्टर-पंजीयन के विभिन्न माध्यमों से	01 से 28 फरवरी 2020 तक
		किसान का बैंक खाता एवं IFSC का मिलान Apex Bank	संचालक, खाद्य, NIC एवं MPSCSC द्वारा NPCI एवं को-आपरेटिव बैंक खाता GMCCB के माध्यम से	07 फरवरी से 07 मार्च 2020 तक
	प्रचार-प्रसार	प्रिन्ट मीडिया में पंजीयन प्रारंभ का विज्ञापन जारी करना	MD,MPSCSC	31 जनवरी 2020
		रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर प्रचार प्रसार	संचालक, खाद्य	01 से 28 फरवरी 2020

23/01/2020

1615 23/1/2020

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
		कृषकों को SMS द्वारा पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि को आंमत्रित करना	संचालक, खाद्य	25 जनवरी 2020
		कृषकों को गिरदावरी के डाटा से अवगत कराने हेतु SMS का प्रेषण	संचालक, खाद्य	25 जनवरी 2020
		ग्राम पंचायत स्तर पर डोडी पिटवा कर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर कृषकों की पंजीयन तिथी प्रकाशित करना	कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी	31 जनवरी 2020
		समिति स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर, उपायुक्त/ सहायक सहकारिता	30 जनवरी 2020
		मण्डी स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर उपसंचालक कृषि -	30 जनवरी 2020
6	उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	खाद्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण वीडियों कान्फ्रेस के माध्यम से	संचालक, खाद्य	22 जनवरी 2020
		राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण	संचालक, खाद्य	25 जनवरी 2020
		State Resource Person प्रशिक्षण,	संचालक, खाद्य वीडियों कान्फ्रेस	22 जनवरी 2020
		जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	MPSCSC	23 जनवरी 2020
		संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक खाद्य के प्रतिनिधी की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण	संभागायुक्त	30 जनवरी से 31 जनवरी 2020
		तहसील स्तरीय अधिकारियों का जिले पर उन्मुखीकरण	जिला कलेक्टर -राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन	24 जनवरी 2020
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना- जिला स्तर पर	कलेक्टर -DIO NIC	28 जनवरी 2020
		जिला अधिकारियों का द्वितीय उन्मुखीकरण - (वीडियो कांफ्रेसिंग) डीआईओ, डीएसओ, डीएमओ, डीएम MPSCSC, उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मास्टर ट्रेनर	संचालक, खाद्य एवं SIO, NIC	29 जनवरी 2020
		पंजीयन समिति, पंचायत, संबद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	जिला कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	30 जनवरी 2020